न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 96/2019 निर्णय दिनांक :– 13.7.19

उनवान

1. रामनिवास पुत्र किशना दत्तक पुत्र छोटू

2. भूरी देवी पत्नि नवलकिशोर

4. सत्यनारायण पुत्र नवलकिशोर

5. मन्नी देवी पत्नि स्व. नाथूलाल

6. रामजीलाल पुत्र स्व. नाथूराम

7. शंकरलाल पुत्र स्व. नाथूराम

8. दुर्गालाल पुत्र स्व. नाथूराम

समस्त जातियान अहीर निवासी ग्राम फतेहपुराबास वाटिका तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

........वादीगण

बनाम

1. रामनाथ पुत्र गोपी जाति अहीर निवासी ग्राम फतेहपुराबास वाटिका तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0

2 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:02 IST
Reason: SelfAttested

——प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादीगण ने वाद निम्न प्रकार पेश किया है कि :—

वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 273 रकबा 0.19 है0 , खसरा नम्बर 274 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 275 रकबा 0.27 है0 , खसरा नम्बर 276 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 278 रकबा 0.28 है0 , खसरा नम्बर 297 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 299 रकबा 0.11 है0 , खसरा नम्बर 323/1 रकबा 0.15 है0 कुल किता 08 कुल रकबा 1.43 है0 बाके ग्राम फतेहपुराबास वाटिका तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है। जिसको वादपत्र में विवादित आराजी से सम्बोधित किया गया है। वादीगण संख्या 01 से 04 तथा वादी संख्या 05 से 08 के दादाजी नृसिंह पुत्र नारायण ने आराजी भूमि खसरा नम्बर 653 रकबा 0.13 है0 , खसरा नम्बर 653/1569 रकबा 0.15 है0 , खसरा नम्बर 655 रकबा 0.04 है0 , खसरा नम्बर 656 रकबा 0.04, है0 , खसरा नम्बर 657 रकबा 0.12 है0 , खसरा नम्बर 657/1550 रकबा 0.06 है0 , खसरा नम्बर 658 रकबा 0.20 है0 , खसरा नम्बर 651 रकबा 0.12 है , खसरा नम्बर 6[illegible] रकबा 0.10 है0 कूल किता 09 कुल रकबा 0.96 है0 को [illegible] पुत्र द्वारा दिनांक 05.10. 2009 को प्रतिवादी संख्या 01 रामना[illegible] पुत्र गोपी का हिस्सा 1/5

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

सम्पूर्ण का हक त्याग पत्र वादीगण ने अपने हक में करवा लिया था। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त हक त्याग पत्र में उक्त खसरा नम्बरो के अलावा अन्य खातो का भी हक त्याग किया गया था। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की वजह से अन्य खातो का नामान्तकरण तो वादीगण के नाम खोल दिया गया। किन्तु वादपत्र के मद नं. 02 नें वर्णित भूमि का नामान्तकरण वादीगण के नाम नहीं खोला गया। जिसके कारण वादपत्र के मद नं. 02 में वर्णित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज रह गई थी। जबकि उक्त हक त्याग पत्र के मुताबिक वादीगण के नाम 1/5 हक व हिस्सा की भूमि का नामान्तकरण खुलना चाहिये था। वादपत्र के मंद नं. 02 उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष एक तकासमा का वाद चला था। जिसका उनवान हरिनारायण बनाम रामनाथ मु नं. 76/2014 था। जिसका मान्य न्यायालय द्वारा निर्णय कर दिया गया। जिससे उक्त आराजी का तकासमा हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में वादपत्र के मद संख्या 01 में वर्णित भूमि तकासमा में आई थी। जबकि वादीगण हक त्याग पत्र के मुताबिक अपने 1/5 सम्पूर्ण भूमि पर हक त्याग पत्र के बाद निरन्तर काबिज काश्त करते चले आ है। वादपत्र के मद नं. 02 में वर्णित भूमि का तकासमा हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादीगण के हक में करवाया गया रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 05.10.2009 का नामान्तकरण वादीगण के हक में नहीं खुल पाया। जिससे प्रतिवादी संख्या [illegible] नाम वादपत्र के मद नं. 01 में वर्णित चल रही भूमि [illegible] जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 05.10.2009 के मुताबिक वादी नं. 01 को 1/3 तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

वादी संख्या 02 लगायत 04 को 1/3 तथा वादी संख्या 05 लगायत 08 को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे जिसका वादीगण कानूनन अधिकारी है। वादी संख्या 05 लगायत 08 के दादाजी नृसिंह पुत्र नारायण व पिताजी नाथूराम पुत्र नूसिंह का स्वर्गवास हक त्याग पत्र पत्र होने के पश्चात हो गया तथा नाथूराम की जायन्दा पुत्रियों द्वारा भी वादीगण संख्या 05 से 08 के हक में रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र कर दिया गया था। वादीगण काश्तकार व्यक्ति है जो वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण द्वारा उक्त हक त्याग पत्र की कोपी पटवारी हल्का को उसी वक्त दे दी थीी। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा हक त्याग पत्र में वर्णित खातो से एक खाते का नामान्तकरण नहीं खोला गया तथा अन्य खाते का नामान्तकरण खोल दिया गया। जिससे वादीगण अपने नाम नामान्तकरण खुल गया मानकर जमीन अपने नाम मान रहे है। जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम ही दर्ज रह गई। वादीगण तो उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे कि दिनांक 07.05.2019 को प्रतिवादी संख्या 01 मय दीगर व्यक्तियों को लेकर आया और वादीगण से कहा कि तुम्हारे नाम कोई जमीन नही है , तुम्हारे हक त्याग पत्र का नामान्तकरण अभी तक नहीं खुला है। हम इस का बेचान करके जायेंगे। न ही काश्त करने देगे। उक्त धमकियां देकर चला गया। वादीगण लिये आ[illegible]ही गया कि वह प्रतिवादी संख्या 01 के नाम विव[illegible] आराजी [illegible] से वादीगण अपने नाम जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक [illegible]5.10.2009 के मुताबिक वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

संख्या 01 को 1/3 व वादी संख्या 02 लगायत 04 को 1/3 तथा वादी संख्या 05 लगायत 08 को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे जिससे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलदांजी एवं मजाहमत वैजा नहीं करे न ही भूमि का बेचान करे, न ही अन्य से करावे। दावे के लिये वाद हैतुक दिनांक 07/05/2019 को प्रतिवादीगण द्वारा दीगर व्यक्तियों को लेकर आरी पर आने और जमीन नाम नहीं होने के लिये कहने पर तथा हक त्याग पत्र का नामान्तकरण नहीं खुल रहा है तथा कई तरह की धमकियां देने पर उत्पन्न हुआ जिससे वाद श्रीमान के समक्ष पेश है। विवादित आराजी श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार हासिल है। प्रतिवादी संख्या 2 को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है इनके खिलाफ दावे में कोई रिलीफ नही चाही गई है। दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख्खसरा नम्बर 273 रकबा 0.19 है0 , खसरा नम्बर 274 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 275 रकबा 0.27 है0 , खसरा नम्बर 276 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 278 रकबा 0.28 है0 , खसरा नम्बर 297 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 299 रकबा 0.11 है0 , खसरा नम्बर 323/1 रकबा 0.15 है0 कुल किता 08 कुल रकबा 1.43 है0 बाके ग्राम फतेहपुराबास वाटिका तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में वादीगण अपने नाम जरिये रजिस्टर्ड हक [illegible] दिनांक 05.10.2009 के मुताबिक वादी नं. 01 को 1/3 तथा वादी संख्या 02 लगायत 04 को 1/3 तथा वादी संख्या 05 लगायत 08 को 1/3 भाग का खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

काश्तकार घोषित करावे तथा इसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध कियाजावे कि वो वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी तरह की दखलदांजी व मजाहमत वैजा नही करे न ही किसी अन्य से करावे।

दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गयी तो प्रतिवादी बावजूद तामील सूचना के गैर हाजीर रहने पर प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल लायी जाकर साक्ष्य वादी ली गयी तो साक्ष्य में वादी द्वारा हनुमान, शंकरलाल, रामनिवास, सत्यनारायण के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये। साक्ष्य शपथ पत्र पेश हाने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये मुताबिक हक त्याग के अनुसार दावा डिक्री किया जाना जाहिर किया गया।

वादी ने दावे के समर्थन में हक त्याग दिनांक 05.10.2009, जमाबंदी सम्वत 2072–75 एवं गवाहों के शपथ–पत्र बतौर दस्तावेज पेश किये गये।

वकील वादी की बहस पर गौर किया व प्रस्तुत दस्तावेजात हक त्याग पत्र दावा व साक्ष्य शपथ पत्र का परीक्षण किया गया तो वादीगण संख्या 1 से 4 तथा 5 से 8 के दादाजी नृसिंह पुत्र नारायण ने आराजी भूमि खसरा नम्बर 65[illegible]/1569, 655, 656, 657, 657/1550, 658, 651, 654 किता 9 [illegible] 0.96 है0 को जरिये हक त्याग पत्र दिनांक 05.10.2009 की प्रतिवादी संख्या 1 रामनाथ पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

गोपी का हिस्सा 1/5 वादीगण ने अपने हक में करवा लिया था। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त हक त्याग में उक्त खसरा नम्बरों के अलावा अन्य खातों का भी हक त्याग किया था, अन्य खातो का नामान्तकरण तो खुल गया किन्तु उक्त खसरा नम्बरान का नामान्तकरण वादीगण के नाम नही खुला जिस कारण उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रह गयी जबकि उक्त हक त्याग पत्र के मुताबिक वादीगण के नाम 1/5 हक व हिस्से की भूमि का नामान्तकरण खोला जाना चाहिये थे। इसी दौरान एसडीएम चाकसू के समक्ष हरिनारायण बनाम रामनाथ मुकदमा नम्बर 76/2014 तकासमा डिक्री की गयी जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के वाद पत्र 1 में वर्णित भूमि तकासमे में आयी जकि वादीगण का हक त्याग पत्र के मुताबिक अपने 1/5 सम्पूर्ण भूमि पर हक त्याग पत्र के बाद से निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे है। इस प्रकार वाद पत्र के मद नं0 2 में वर्णित भूमि का तकासमा हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण के हक में रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 05.10.2009 का नामान्तकरण वादीगण के हक मे नही खुला जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाद ग्रस्त भूमि वाद पत्र के मद संख्या 1 चली आ रही है। जबकि इस हक त्याग के माध्यम से वादीगण के नाम नामान्तकरण खुलना चाहिये था जो नही खुला। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विवादित आराजी में से वादीगण के नाम रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 05.10.2009 के मुताबिक लोक अदालत की भावना से डिक्री [illegible] मद संख्या 1 में अंकित भूमि का नामान्तकरण खुलवाया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:36:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

दावा वादी लोक अदालत की भावना से मुताबिक हक त्याग के द्वारा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 273, 274, 275, 276, 278, 297, 299, 323/1 किता 8 रकबा 1.08 है0 भूमि वाके ग्राम फतेहपुरावास वाटिका तहसील चाकसू में वादीगण को रजिस्टर्ड हक त्याग 05.10.2009 के मुताबिक वादी नं0 1 को 1/3 वादी संख्या 2 से 4 को 1/3 व वादी संख्या 5 से 8 को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)
13.7.18

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:36:02 IST
Reason: SelfAttested